GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.197
TO BE ANSWERED ON THE 06/08/2021

PROPOSAL FOR A SEPARATE ANNUAL BUDGET FOR AGRICULTURE

* 197. SHRI B. LINGAIAH YADAV:

Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state: (a) whether Government has any proposal to introduce a separate annual budget for agriculture with the objective of increasing agricultural productivity, protecting farmers 'welfare and working out legislation(s) to regulate ground water use to protect the interests of both farmers and common people dependent on ground water as there are some water deficient States in the country; and

(b) if so, the details thereof and steps being taken therefor, State-wise and if not, the reasons therefor?

ANSWER

THE MINISTSER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMES WELFARE (SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE):

(a) & (b): A Statement is laid on the Table of the House

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) & (b) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 197 DUE FOR REPLY ON 6th AUGUST, 2021.

(a) & (b): The Government of India is continuously working forenhancing agricultural productivity, farmers'income and their welfare in a sustainable manner. Accordingly, the Budget for Department of Agriculture and Farmers' Welfare (DA&FW) has been increased from Rs. 21933.50 crore (2013-14) to Rs. 123017.57 crore (2021-22), which is 460% increasefor implementation of various agricultural development and welfare schemes aiming at to increase agriculture production and farmers' welfare across the country. Besides, Rs. 8513.62 crore have been allocated during 2021-22 to Department of Agricultural Researchand Education for development of several new high yielding, biotic/ abiotic stress tolerant, disease/ insect resistant and bio-fortified varieties of seed, etc.

In order to enhance production and productivity of food crops, the Government is implementing a Centrally Sponsored Scheme of National Food Security Mission (NFSM) in the country. The mission aims at increasing foodgrain/food crop production through area expansion in niche regions and productivity improvement. The mission also provides support to Indian Council of Agricultural research (ICAR) & State Agriculture Universities (SAUs)/Krishi Vigyan Kendras (KVKS) for technology back stopping and transfer of technology to the farmer under supervision of Subject Matter Specialists/Scientists. The research organizations are supported for undertaking research projects that can help enhancing production and productivity of crops. Forwelfare of farmers', Government has launched various initiatives viz. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN), Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana (PM-KMY), Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY), Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan (PMAASHA), Price Support Scheme (PSS) for pulses and oilseeds, Price Deficiency payment Scheme (PDPS), Interest Subvention Scheme, Kisan Credit Card (KCC), etc.

Contd...2/-

Government of India is implementing Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) with the objective to enhance physical access of water and expand cultivable area under assured irrigation, improve on-farm water use efficiency through micro-irrigation systems, introduce sustainable water conservation practices, etc. The components of PMKSY includesAccelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP), Har Khet Ko Pani (HKKP), Watershed Development Component and Per Drop More Crop. The component of PMKSY-Per Drop More Crop(PDMC) is being implemented by DA&FW which focuses on enhancing water use efficiency at farm level through Micro Irrigation viz. Drip and Sprinkler Irrigation System. An area of 57.3 lakh ha under micro-irrigation has been covered during 2015-16 to 2020-21 under PMKSY-PDMC. The statewise coverage of area micro-irrigation and Central assistance provided to states under PMKSY-PDMC is **Annexed.**

Annexure

Annexure to the Rajya Sabha Starred Question No. 197 for 06.08.2021 on Proposal for A Separate Annual Budget For Agriculture

Funds released under Per Drop More Crop component of PMKSY during 2015-16 to 2020-21

S.No.	States/UT	Rs. In Crore
1	Andhra Pradesh	2104.26
2	Bihar	90.61
3	Chhattisgarh	240.64
4	Goa	2.8
5	Gujarat	1612.55
6	Haryana	218.19
7	Himachal Pradesh	99.35
8	Jharkhand	145.64
9	Jammu & Kashmir	58.07
10	Karnataka	2009.15
11	Kerala	42.53
12	Madhya Pradesh	792.4
13	Maharashtra	1760.46
14	Odisha	231.4
15	Punjab	53.18
16	Rajasthan	822.82
17	Tamil Nadu	1920.83
18	Telangana	679.32
19	Uttarakhand	176.8
20	Uttar Pradesh	521.79
21	West Bengal	176.7
22	Arunachal Pradesh	68.4
23	Assam	91.03
24	Manipur	121.36
25	Meghalaya	31.73
26	Mizoram	104.47
27	Nagaland	136.64
28	Sikkim	136.24
29	Tripura	51.5
30	A&N Island	0.7
31	Puducherry	2.03
32	Ladakh	2.4
33	HQ	42.04
	Grand Total	**14548**

Coverage of Micro Irrigation under Per Drop More Crop Component of PMKSY during 2015-16 to 2020-21

S.No.	States/UT	Area in ha
1.	Andhra Pradesh	743992
2.	Bihar	18692
3.	Chhattisgarh	105621
4.	Goa	1048
5.	Gujarat	801519
6.	Haryana	65136
7.	Himachal Pradesh	10486
8.	Jharkhand	23758
9.	Jammu & Kashmir	1090
10.	Karnataka	1246354
11.	Kerala	3166
12.	Madhya Pradesh	236817
13.	Maharashtra	655177
14.	Odisha	42725
15.	Punjab	6540
16.	Rajasthan	333947
17.	Tamil Nadu	832847
18.	Telangana	247557
19.	Uttarakhand	21276
20.	Uttar Pradesh	232487
21.	West Bengal	54765
22.	Arunachal Pradesh	5585
23.	Assam	18456
24.	Manipur	8609
25.	Mizoram	3265
26.	Nagaland	4350
27.	Sikkim	6297
	Grand Total	**5731562**

***

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 197

06 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि के लिए अलग से वार्षिक बजट लाने का प्रस्ताव

***197 श्री बी लिंग्याह यादव:**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने और भू-जल परनिर्भर किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा के लिए भू-जल के उपयोग को विनियमित करने हेतु विधान बनाने के उद्देश्य से कृषि हेतु अलग से वार्षिक बजट लाने का विचार रखती है क्योंकि देश के कुछ राज्यों में पानी की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उतर

कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"कृषि के लिए अलग से वार्षिक बजट लाने का प्रस्ताव" के बारे में दिनांक 06 अगस्त, 2021 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले ताराकित प्रश्न सं.197 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): भारत सरकार कृषि उत्पादकता, किसानों की आय और उनके कल्याण को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। तदनुसार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के लिए बजट 21933.50 करोड़ रुपए (2013-14) से बढ़ाकर 123017.57 करोड़ रूपए (2021-22) कर दिया गया है,जो देश भर में कृषि उत्पादन और किसानों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि विकास और कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 460% की वृद्धि है। इसके अलावा,वर्ष 2021-22 के दौरान कई नई उच्च उपज देने वाली, जैविक/अजैविक तनाव सहिष्णु, रोग/कीट प्रतिरोधी और बीज की जैव-आरक्षित किस्मों के विकास, आदि के लिए कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के लिए 8513.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

खाद्य फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, सरकार देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) की केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में सुधार के माध्यम से खाद्यान्न/खाद्य फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। यह मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीकेएस) को विषय वस्तु विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देख रेख में किसान को प्रौद्योगिकी समर्थन और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। अनुसंधान संगठनों को अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सहायता दी जाती है जो फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। किसानों के कल्याण के लिए, सरकार ने कई पहल अर्थात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा), दलहन और तिलहन के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस), ब्याज छूट योजना,किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), आदि शुरू की हैं।

भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य जल की वास्तविक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों आदि शुरू करना है। पीएमकेएसवाई के घटकों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), हर खेत को पानी (एचकेकेपी), पनधारा विकास घटक और प्रति बूंद अधिक फसल शामिल हैं। पीएमकेएसवाई-प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-21 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई के तहत 57.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र का राज्य-वार कवरेज और राज्यों को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता **अनुबंध** में दी गई है।

रा.स.ता.प्र.सं.197

अनुबंध

वर्ष2015 16 से 2020-21 के दौरान पीएमकेएसवाई के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य/संध राज्य क्षेत्र	रूपए करोड़ में
1	आंध्र प्रदेश	2104.26
2	बिहार	90.61
3	छत्तीसगढ	240.64
4	गोवा	2.8
5	गुजरात	1612.55
6	हरियाणा	218.19
7	हिमाचल प्रदेश	99.35
8	झारखंड	145.64
9	जम्मू और कश्मीर	58.07
10	कर्नाटक	2009.15
11	केरल	42.53
12	मध्य प्रदेश	792.4
13	महाराष्ट्र	1760.46
14	ओडिशा	231.4
15	पंजाब	53.18
16	राजस्थान	822.82
17	तमिलनाडु	1920.83
18	तेलंगाना	679.32
19	उत्तराखंड	176.8
20	उत्तर प्रदेश	521.79
21	पश्चिम बंगाल	176.7
22	अरुणाचल प्रदेश	68.4
23	असम	91.03
24	मणिपुर	121.36
25	मेघालय	31.73
26	मिजोरम	104.47
27	नागालैंड	136.64
28	सिक्किम	136.24
29	त्रिपुरा	51.5
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.7
31	पुदुचेरी	2.03
32	लद्दाख	2.4
33	मुख्यालय	42.04
	कुल योग	**14548**

वर्ष 2015 -16 से 2020-21 के दौरान पीएमकेएसवाई के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत सूक्ष्म सिंचाई का कवरेज

क्र.सं.	राज्य क्षेत्रसंघ राज्य/	क्षेत्र हेक्टेयर में
1.	आंध्र प्रदेश	743992
2.	बिहार	18692
3.	छत्तीसगढ	105621
4.	गोवा	1048
5.	गुजरात	801519
6.	हरियाणा	65136
7.	हिमाचल प्रदेश	10486
8.	झारखंड	23758
9.	जम्मू और कश्मीर	1090
10.	कर्नाटक	1246354
11.	केरल	3166
12.	मध्य प्रदेश	236817
13.	महाराष्ट्र	655177
14.	ओडिशा	42725
15.	पंजाब	6540
16.	राजस्थान	333947
17.	तमिलनाडु	832847
18.	तेलंगाना	247557
19.	उत्तराखंड	21276
20.	उत्तर प्रदेश	232487
21.	पश्चिम बंगाल	54765
22.	अरुणाचल प्रदेश	5585
23.	असम	18456
24.	मणिपुर	8609
25.	मिजोरम	3265
26.	नागालैंड	4350
27.	सिक्किम	6297
	कुल योग	**5731562**

*****

श्री बी.लिंग्याह यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 2013-14 में 21,933.54 का बजट था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2021-22 में 1,23,017.57 किया गया, जो कि 46 प्रतिशत बढ़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब एग्रीकल्चर **...(व्यवधान)...** वर्ष 2021-22 में जी.डी.पी. कितने प्रतिशत बढ़ा है?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : सर, मुझे माननीय सदस्य की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है।

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है।

श्री बी.लिंग्याह यादव : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री जी, आप सुनिए, मैं पूछ रहा हूं। मैं एग्रीकल्चर में जी.डी.पी. के बारे में पूछ रहा हूं। आप कह रही हैं कि **...(व्यवधान)...**वर्ष 2013-14 में कृषि बजट 21,934.50 करोड़ है जो वर्ष 2021-22 में 1,23,017.57 हो गया है। ऐसा आपने कहा है कि इसमें 460 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ऐसा आपने बोला है। मैं पूछ रहा हूं कि जी.डी.पी. में कितना बढ़ा है?

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि देश के लिए, देश के किसानों के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी का विज़न है। **...(व्यवधान)...** हमारे प्रधान मंत्री जी के कारण, कृषि मंत्री जी के कारण जी.डी.पी. में वर्ष 2020-21 में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 20% प्रतिशत तक पहुंची है, **...(व्यवधान)...** जो कि वर्ष 2013-14 में केवल 14% थी। वह अभी 20% तक पहुंच गई है। कुल जी.डी.पी. में कृषि का योगदान 37.4 लाख करोड़ तक पहुंचा है। बागवानी में **...(व्यवधान)...** बागवानी क्षेत्र में **...(व्यवधान)...** इसलिए जी.डी.पी. में 6% की ग्रोथ अभी पिछले 6 सालों में हुई है। **...(व्यवधान)...**

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने बी.टी. कॉटन सीड्स की अनुमति प्रदान की है लेकिन महाराष्ट्र, कर्णाटक, गुजरात और तेलंगाना में बड़े पैमाने पर एच.टी.बी.टी. कॉटन के सीड्स का इस्तेमाल हो रहा है **...(व्यवधान)...** और केवल महाराष्ट्र में एच.टी.बी.टी. कॉटन सीड्स के 75 लाख पैकेट्स का इल्लीगल तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार एच.टी.बी.टी. कॉटन सीड्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? **...(व्यवधान)...**

सुश्री शोभा कारान्दलाजे: एच.टी.बी.टी. कॉटन के लिए सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी है। **...(व्यवधान)...** यदि इल्लीगल तरीके से ऐसा कुछ हुआ है तो हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हम राज्य सरकार को इसके बारे में कार्रवाई करने के लिए बोलेंगे। **...(व्यवधान)...**

[Written Answers to Starred and Un-starred Questions are available as Annexure]

THE-VICE CHAIRMAN (SHRI SURENDRA SINGH NAGAR): The House stands adjourned till eleven of the clock on Monday, the 9th August, 2021.